प्रेस विज्ञप्ति

03.03.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने 27.01.2025 को दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर क्षेत्र में 12 स्थानों पर डब्ल्यूटीसी ग्रुप और प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी ग्रुप और इसके प्रमोटर आशीष भूटानी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने सैकड़ों घर खरीदारों और निवेशकों की शिकायतों के आधार पर डब्ल्यूटीसी ग्रुप और इसके प्रमोटरों आशीष भल्ला, सुपर्णा भल्ला, अभिजीत भल्ला, मेसर्स भूटानी इंफ्रा और अन्य के खिलाफ आरोपी कंपनियों/व्यक्तियों द्वारा सैकड़ों घर खरीदारों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और जालसाजी के लिए पुलिस स्टेशन ईओडब्ल्यू नई दिल्ली, पुलिस स्टेशन बीपीटीपी फरीदाबाद और पुलिस स्टेशन फरीदाबाद सेंट्रल द्वारा दर्ज दर्जनों एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मेसर्स डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और प्रमोटर ने आम जनता/प्लॉट खरीदार को प्लॉट खरीदारों को आवासीय प्लॉट आवंटित करने के लिए फरीदाबाद के सेक्टर 111-114 में अपनी परियोजना में निवेश करने का लालच दिया है। प्रमोटरों/निदेशकों ने एक आपराधिक साजिश रची और निर्धारित समय के भीतर परियोजना को पूरा न करके और 10 साल से अधिक समय तक प्लॉट खरीदारों को प्लॉट न देकर प्लॉट खरीदारों की गाढ़ी कमाई को हड़प लिया। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि भूटानी इंफ्रा समूह ने डब्ल्यूटीसी समूह का अधिग्रहण कर लिया है और प्लॉट खरीदारों को असमंजस में रखते हुए फरीदाबाद के सेक्टर 111-114 में परियोजना को फिर से लॉन्च किया है और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है और उन्हें यूनिट सरेंडर करने का लालच दिया है।

तलाशी अभियान के दौरान, दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में 15 परियोजनाओं के लिए विभिन्न निवेशकों से 3500 करोड़ रुपये से अधिक के फंड संग्रह से संबंधित दस्तावेज पाए गए। समूह द्वारा किए जा रहे 15 प्रमुख प्रोजेक्टों में से बहुत कम डिलीवरी दी गई है, जो एक सुनियोजित पोंजी योजना और अन्य संस्थाओं के नाम पर संपत्ति बनाने और विदेशों में धन की हेराफेरी का संकेत देता है। इसके अलावा, तलाशी कार्रवाई के दौरान यह भी पता चला कि 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सिंगापुर और यूएसए में भेजी गई है, जो विदेशी संपत्ति हासिल करने के लिए विदेशों में निवेश का संकेत देता है।

इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीसी समूह और भूटानी समूह से संबंधित अपराध-संकेती दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, जिसमें बाजार मूल्य के हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति को नाममात्र मूल्य पर भूटानी समूह को हस्तांतरित किया गया है, इस प्रकार अपराध के आगमों को (पीओसी) नाममात्र मूल्य पर स्थानांतरित किया गया है। समूह के नकद लेनदेन से संबंधित दस्तावेज पाए गए हैं।

तलाशी कार्रवाई के दौरान डायवर्सन, फंड की लेयरिंग, संपत्ति के दस्तावेज और उपरोक्त संस्थाओं के अन्य संपत्ति के विवरण जैसे बिक्री विलेख, पंजीकरण विलेख इत्यादि से संबंधित कई अपराध-संकेती दस्तावेज और लैपटॉप, हार्ड ड्राइव इत्यादि जैसे विभिन्न डिजिटल उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूटीसी समूह के नाम पर हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति की पहचान की गई है। इसके अलावा, डब्ल्यूटीसी समूह की कंपनियों के नाम पर विभिन्न फिक्स्ड डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया गया है और 1.5 करोड़ रुपये के आभूषण और बुलियन के साथ जब्त कर लिया गया है

आगे की जांच जारी है।

परियोजना की तस्वीरें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि डब्ल्यूटीसी ग्रुप द्वारा फरीदाबाद में 10 वर्षों से अधिक समय तक कोई काम नहीं किया गया और समूह की संस्थाओं और विदेशों में पैसा निकाला गया: